न्यायालय श्रीमान म०प्र० राजस्व मंडल ग्वालियर (कैंप भोपाल) म०प्र०

राजस्व निगरानी प्रक०क्र०/पुनरीक्षण याचिका :- R-3693-PBR/13

प्रस्तुत दिनांक :---

याचिकाकर्ता :-- 1/ हरनाथ सिंह पिता शिवराम जाट,
2/ प्रेमनारायण आ० शिवराम जाट,
3/ देवीलाल आ० तुलसीराम जाट,
4/ ओमप्रकाश आ० छीतरजी जाट,
5/ नंदकिशोर आ० छीतरजी जाट,
~~[illegible]~~
6/ बलराम आ० हरकिशन जाट,
7/ हरिओम आ० हेमा कोरकू,
8/ राजेश आ० हरनारायण जाट,
9/ सुंदरलाल आ० रामकिशन कोरकू,
10/ बालाराम आ० मांगीलाल चमार
11/ धन्नालाल आ० प्रतापजी जाट,
12/ रामनिवास आ० भुजराम जी जाट,
सभी निवासी भवरतलॉव ठेकेदारी तह० हंडिया
जिला हरदा (मध्यप्रदेश)

श्री मोहन ठाकुर अभिभाषक द्वारा 24-9-13 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
24-9-13

231412

Fee 30-9-13

बनाम

उत्तरवादी :-- ओम पटेल आ० रेवाराम जी पटेल
निवासी भवरतलॉव ठेकेदारी, तह० हंडिया जिला हरदा

याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

याचिकाकर्तागण की ओर से निवेदन है कि :----

1/ यह कि, ग्राम भवरतलॉव ठेकेदारी पटवारी हलका न०- 25 बंदोबस्त न०- 310 में स्थित भूमि खसरा न०- 14 रकबा 0.42 एकड़ भूमि

जिसमें कि हनुमानजी का मंदिर एवं एक सार्वजनिक कुआँ स्थित है, यह स्थान खुले रूप में होकर इसमें ग्रामवासियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते चले आ रहे है, यह भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1946-47 से लगायत सन 2007 तक छोटा घास के रूप में दर्ज रही है । ततसंबंध में ग्राम के निस्तार पत्रक में उक्त भूमि का इंद्राज न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय हरदा के विधिपूर्ण आदेश दिनांक 23/1/2007 से दर्ज हुआ है । और यह कार्यवाही श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय हरदा द्वारा रा0प्र0क्र0 289बी.-121/2005-06 अंर्तगत धारा 242 म0प्र0भू0रा0सं0 ग्राम भवरतलॉव ठेकेदारी में पारित आदेश दि0 23/1/2007 के अनुसार निस्तार पत्रक में दर्ज की गई । उक्त भूमि शासकीय छोटा घास की भूमि है और जो सार्वजनिक निस्तार हेतु उपरोक्तानुसार सतत उपयोग उपभोग में चले आ रहे होने से ततसंबंध में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय हरदा द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश पूर्णतः विधि संपुष्ट है। उक्त आदेश से परिवेदित होकर अति विलंब कारित करते हुये उत्तरवादी द्वारा एक अपील अंर्तगत धारा 44(1) म0प्र0भू0रा0सं0 श्रीमान कलेक्टर महोदय हरदा की न्यायालय में दि0 4/3/2009 को असत्य दस्तावेजों एवं वास्तविक तथ्यों के विपरित प्रस्तुत की गई, साथ ही एक आवेदन पत्र अंर्तगत धारा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम का प्रस्तुत करते हुये अपील प्रस्तुती में क्षमा विलंब याचिका करते हुये प्रस्तुत किया गया ।

R 3693 PBR/13 (६२ग)

६२०१५ / ७७५८२८

28.12.2015	आवेदक की ओर से श्री मोहन ठाकुर अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है। [signature] [signature] अध्यक्ष	N.P. 28/12/15 Not Press [signature] 28/12/15 [signature]

[कृ. प. उ.